अध्याय–22

संकल्प

संसद् में अधिकांश कार्य प्रस्तावों के जरिए किया जाता है। किसी विषय पर विचार–विमर्श हो जाने के बाद प्रस्ताव पर सभा में मतदान कराया जाता है जिसे तकनीकी तौर पर मतदान लेना कहा जाता है। ''इस प्रकार मतदान के निर्णय से प्राप्त निष्कर्ष प्रस्ताव को, एक संकल्प अथवा आदेश का रूप दे देता है।''[1] प्रत्येक मतदान जब उस पर सहमति हो जाये तो, वह सभा के आदेश अथवा संकल्प का रूप धारण कर लेता है। सभा अपने संकल्पों के माध्यम से अपनी राय और अपने प्रयोजनों की घोषणा करती है।[2]

कोई भी सदस्य, नियमों के अधीन, सामान्य जनहित के मामले से सम्बन्धित संकल्प राज्य सभा में प्रस्तुत कर सकता है।[3] संकल्पों को इस प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है: गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प, सरकारी संकल्प और परिनियत संकल्प। प्रथम श्रेणी में वे संकल्प आते हैं जो नियत दिन मंत्री के अलावा राज्य सभा के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं; दूसरी श्रेणी में वे संकल्प आते हैं जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और अंतिम श्रेणी में वे संकल्प आते हैं जो संविधान में निहित उपबंध अथवा संसद् के अधिनियम का पालन करते हुए प्रस्तुत किये जाते हैं।

क. गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प

संकल्प की सूचना और लॉटरी का निकाला जाना

जब तक सभापति द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाये, शुक्रवार को होने वाली बैठक में अढ़ाई घंटे से अन्यून समय गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए आवंटित किया जाता है।[4] गैर–सरकारी संकल्पों और विधेयकों के लिए वैकल्पिक शुक्रवार आवंटित किए जाते हैं। गैर–सरकारी सदस्य अर्थात् मंत्री[5] के अतिरिक्त कोई सदस्य, जो गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन संकल्प उपस्थित करना चाहता है, इस आशय की सूचना लॉटरी निकालने की तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व होगा।[6]

> छप्पनवें सत्र (1966) तक यह प्रक्रिया थी कि सदस्य आवंटित दिनों के लिए संकल्पों की सूचना निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया करते थे और जो संकल्प गृहीत कर लिए जाते थे उन्हें संसदीय समाचार में अधिसूचित किया जाता था और सत्र के दौरान आवंटित दिनों की कार्यावलि में शामिल करने के लिए उनमें से पांच संकल्पों का चयन करने की दृष्टि से लाटरी निकाली जाती थी। वर्तमान प्रक्रिया उस सत्र से प्रारंभ की गई थी।[7] तथापि, नई परिपाटी को शामिल करने के लिए नियम समिति की सिफारिश पर नियम 154 का बाद में संशोधन किया गया।[8]

नियत दिन[9] के लिए उन सभी सदस्यों के नामों की लॉटरी निकाली जाती है जिनसे इस प्रकार की सूचनायें प्राप्त होती हैं और वे सदस्य जिन्हें लॉटरी में पहले पांच स्थान प्राप्त होते हैं लॉटरी निकालने की तिथि से दस दिन के अन्दर एक–एक संकल्प की सूचना देने के पात्र होते हैं।[10] प्रत्येक नियत दिन के लिए अलग से लॉटरी निकाली जाती है। लॉटरी निकालने की तिथि और समय सत्रारम्भ से पूर्व संसदीय समाचार

भाग-2 में अधिसूचित किये जाते हैं। परिपाटी के अनुसार, संकल्प रखने के लिए पात्र सदस्यों के नामों का सामान्यत: नियत दिन से इक्कीस दिन पूर्व बैलट किया जाता है। तथापि, 'आमंत्रण जारी किये जाने की तिथि और नियत दिन में समय का अंतराल यदि इक्कीस दिन से कम हो तो लॉटरी निकालने की तिथि पहले कर दी जायेगी।

उदाहरण के लिए अस्सीवां सत्र 8 मई, 1972 को प्रारम्भ हुआ था और सदस्यों को आमंत्रण 18 अप्रैल, 1972 को भेजे गए थे। 12 मई, 1972 के नियत दिन के लिए लॉटरी निकालने की तिथि 21 अप्रैल, 1972 के स्थान पर 25 अप्रैल, 1972 अर्थात् आमंत्रण जारी करने के एक सप्ताह बाद, निर्धारित की गई थी।[11]

रूप

संकल्प सभा द्वारा सम्मति की घोषणा के रूप में या ऐसे अन्य रूप में हो सकता है जिसे सभापति समुचित समझें,[12] जैसाकि, किसी स्थिति पर चिन्ता की अभिव्यक्ति के रूप में,[13] किसी नीति के उलटने, परिवर्तन करने, पुनरीक्षा करने, पुन: प्रतिपादन करने के आग्रह के रूप में,[14] किसी विधान अथवा संविधान संशोधन के लिए आग्रह के रूप में[15] अथवा लोकहित के मामले की ओर शीघ्र ध्यान आकर्षित करते हुए[16] अथवा किसी विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए,[17] आदि।

ग्राह्यता की शर्तें

कोई संकल्प ग्राह्य हो सके, इसके लिए संकल्प (1) स्पष्टत: तथा यथार्थत: अभिव्यक्त किया जाना चाहिए,[18] (2) उसमें सारवान रूप से एक निश्चित मुद्दा उठाया जाना चाहिए;[19] (3) उसमें तर्क, अनुज्ञान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन नहीं होने चाहिए;[20] (4) उसमें व्यक्तियों की पदेन हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का उल्लेख नहीं होना चाहिए;[21] और (5) वह किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित नहीं होना चाहिए जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णयाधीन हो।[22]

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणाओं का प्रतिसंहरण करने का अनुरोध करते हुए एक सदस्य ने संकल्प की सूचना दी। सभापति की जानकारी में यह बात लाई गई कि उद्घोषणाओं को चुनौती देने के लिए अनेक याचिकायें उच्च न्यायालयों में लम्बित हैं। सभापति ने अपने कक्ष में सभा के नेता सहित विभिन्न समूहों के नेताओं तथा अन्य सदस्यों के विचार सुने। सभापति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था देते हुए संकल्प को ग्राह्य करने से इंकार कर दिया:

> यह असंभाव्य है कि संकल्प के कारण सभा में इसी प्रकार के मामलों की विस्तृत चर्चा नहीं होगी। यद्यपि इस प्रकार का संकल्प राष्ट्रपति की उद्घोषणा का अनुमोदन या निरनुमोदन नहीं करता, इसमें वही आधार शामिल किये जायेंगे जोकि याचिकाओं में शामिल किए गये हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त कि यदि वह संकल्प पारित हो जाता है तो यह उस सामान्य प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है जिनकी संविधान में परिकल्पना की गई है। यह प्रत्यक्षत: उन आधारों को चर्चा के लिए सभा में लाने का प्रयास है जिन पर याचिकायें आधारित हैं। वस्तुत: यह नियम 157 के उप-नियम (v) के अन्तर्गत मामले का सार है जिसे सभा ने अपने और न्यायालयों के बीच में शिष्टाचार के विषय के रूप में स्वयं निर्मित किया है। संकल्प को ग्राह्य करना इस प्रकार बनाये गये शिष्टाचार का उल्लंघन होगा।[23]

जो संकल्प पीठासीन अधिकारी के क्षेत्राधिकार में हो, वह भी ग्राह्य नहीं किया जाता है। तथापि, इस प्रकार के उदाहरण हैं जब सामान्य किस्म के संकल्प, यद्यपि वे मूलत: या अपरोक्षत: ऐसे क्षेत्राधिकार में आते हों, ग्राह्य किए गए हैं और उपस्थित किए गए हैं।

संसद् के कर्मचारियों सहित, सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक संकल्प उपस्थित किया गया था और उस पर चर्चा की गई थी। तथापि, सभा की अनुमति से यह संकल्प वापस ले लिया गया था।[24]

एक अन्य संकल्प संसद् की कार्यवाही को दूरदर्शन पर दिखाये जाने के सम्बन्ध में उपस्थित किया गया था। इस संकल्प को अन्ततः वापस ले लिया गया था। तथापि, सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रस्ताव में समाविष्ट मुद्दों और समस्याओं को लोक सभा और राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के समक्ष रखा जायेगा।[25]

सभा में कोई संकल्प उपस्थित किए जाने के बाद तात्विक रूप से उसी विषय को उठाने वाला संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प उपस्थित करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उपस्थित नहीं किया जा सकता है।[26] यदि कोई संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया है या वापस ले लिया गया समझा गया है तो तात्विक रूप से उसी विषय को उठाने वाला कोई संकल्प उसी सत्र के दौरान उपस्थित नहीं किया जा सकता।[27] किसी संकल्प में तात्विक रूप से वैसा ही विषय भी नहीं उठाया जाना चाहिये जिस पर सभा उसी सत्र में निर्णय दे चुकी है।[28]

सभापति इस बात का निर्णय करता है कि क्या कोई संकल्प अथवा उसका कोई भाग नियमों के अधीन ग्राह्य है या नहीं है और सभापति संकल्प अथवा उसके किसी भाग को यदि उनकी राय में नियमों के अनुरूप न हो तो अस्वीकार कर सकता है।[29] सदस्य द्वारा जिस संकल्प की सूचना दी गई है, उसकी संवीक्षा करने पर यदि वह अग्राह्य पाया जाता है तो सम्बन्धित सदस्य को दूसरा संकल्प देने के लिये कहा जाता है। ग्राह्य किए गए संकल्प पहले संसदीय समाचार भाग-2 में अधिसूचित किए जाते हैं और तत्पश्चात् लॉटरी में निकाले गए क्रम से कार्यावलि में शामिल किए जाते हैं। ग्राह्य किए गए संकल्प की एक प्रति सम्बद्ध मंत्रालयों को भेजे जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय को अग्रेषित कर दी जाती है।

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर स्थगित बहस को पुनः प्रारम्भ करना

जब किसी गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर चर्चा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है तो संकल्प उपस्थित करने वाला सदस्य यदि ऐसे संकल्प पर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत किसी परवर्ती दिन चर्चा जारी रखना चाहता है तो वह स्थगित की गई चर्चा को पुनः प्रारम्भ करने के लिए सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना प्राप्त हो जाने पर इस प्रकार के संकल्प को उस दिन के लिए नियत अन्य संकल्पों पर वरीयता प्राप्त होगी।[30]

जब कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तो गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर वाद-विवाद उसी या अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत आगामी दिवस हेतु स्थगित कर दी जाती है तो उस आगामी चर्चा के लिए तब तक निश्चित नहीं किया जाता जब तक कि लॉटरी निकालने में उसे वरीयता न मिल जाये।[31] तद्नुसार, जब तक प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता अथवा सभा आम सहमति से सहमत नहीं होती तब तक उस संकल्प को, जोकि अनिर्णीत रहता है, स्वाभाविक रूप से अगले सत्र में नहीं ले जाया जाता। चर्चा अनिर्णीत रहती है और संकल्प उस सत्र के अंत में व्यपगत हो जाता है।

कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब उपस्थित किए गये और स्वीकृत किए गए प्रस्ताव पर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर चर्चा को गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत पहले दिन में पहली मद में लिए जाने के लिए अगले सत्र में ले जाया गया है। ये दो उदाहरण पांचवें दशक[32] के प्रारम्भ के हैं; और अन्य दो उदाहरण इन उदाहरणों के चालीस वर्ष बाद के हैं।[33] एक अवसर पर यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था कि संकल्प पर बहस को आगामी सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत आगामी दिवस हेतु स्थगित कर दिया जाये।[34] इस प्रकार यह दिखाई देगा कि केवल अपवादिक मामलों में ही गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर बहस को आगामी सत्र में ले जाया जाता है।

जब कोई संकल्प सभा में उपस्थित किया जा चुका हो तो इनमें से कोई एक आकस्मिकता पैदा हो सकती है; यह स्वीकृत हो सकता है; यह अस्वीकृत हो सकता है; इसे वापस लिया जा सकता है; इस पर

बहस हो सकती है (अर्थात् स्वीकृत किए, अस्वीकृत किए या वापस लिए बिना ही चर्चा अनिर्णीत रह सकती है), या उस पर बाद में फिर बहस जारी रखने के लिए उसे स्थगित किया जा सकता है।

ग्राह्य किए गए संकल्प

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए नियत दिन की कार्यावलि में, यदि कोई ऐसा संकल्प हो जिसके कुछ भाग पर चर्चा की जा चुकी हो तो उसके अतिरिक्त, आमतौर पर उन सदस्यों के नामों से पांच संकल्प होते हैं जो लॉटरी के ड्रा में सफल होते हैं।[35] तथापि, लॉटरी निकाले जाने पर सफल रहने वाले सारे सदस्य यदि अपने संकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कार्यावलि में पांच से कम संकल्प रखे जा सकते हैं।[36] संकल्पों को कार्यावलि में उसी क्रम में रखा जाता है जिस क्रम में सदस्यों के नाम लॉटरी के परिणाम में निकलते हैं। कोई संकल्प जिस पर दिन के अंत में आंशिक रूप से चर्चा होती है, उसे उसी सत्र में आगामी नियत दिन के लिए निर्धारित अन्य सभी संकल्पों पर वरीयता प्राप्त रहती है।[37] यदि किसी दिन की कार्यावलि में निर्धारित संकल्प पर उस दिन चर्चा नहीं की जाती है तो उसे वापस ले लिया समझा जाता है और सत्र के दौरान[38] किसी परवर्ती दिन इस पर चर्चा तब तक नियत नहीं की जाती जब तक कि उस सत्र में उस दिन के लिए निकाली गई लॉटरी में नाम निकले हुए सदस्य द्वारा इसे पुनः नहीं दिया जाता।

समय का आवंटन

सत्र में प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को अंतिम अढ़ाई घंटे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए आवंटित किया जाता है। सभापति सभा के नेता से परामर्श करके इस प्रयोजन हेतु शुक्रवार की बजाय कोई अन्य दिन आवंटित कर सकता है। यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो, सभापति यह निदेश दे सकता है कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए सप्ताह में किसी अन्य दिन अढ़ाई घंटे का समय आवंटित किया जाये।[39] कार्य की आकस्मिकताओं के कारण समय को बदला भी जा सकता है।

संकल्पों के लिए समय-सीमा

कार्य मंत्रणा समिति को यह सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए।

> कई अवसरों पर संकल्प के लिए अढ़ाई घंटे का समय आवंटित करते हुए या ऐसा किए बिना ही कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की है कि संकल्प पर चर्चा उसी दिन पूरी होनी चाहिए।[40]

> एक बार एक सदस्य ने जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य को राजनयिक मान्यता दिये जाने के संबंध में 7 मार्च, 1969 को एक संकल्प उपस्थित किया। संकल्प पर 21 मार्च, 1969 को भी चर्चा हुई लेकिन वह अधूरी रही। संकल्प के प्रस्तावक सदस्य ने यह प्रस्ताव किया कि ''संकल्प पर बहस के समय को बढ़ाया जाये।'' मत विभाजन से प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया और सत्र की समाप्ति पर संकल्प व्यपगत हो गया।[41]

किसी संकल्प पर कोई भाषण, सभापति की अनुमति वाले मामले को छोड़कर, पन्द्रह मिनट से अधिक समय का नहीं हो सकता। तथापि, संकल्प का प्रस्तावक उसे उपस्थित करते समय और संबद्ध मंत्री पहली बार भाषण देते समय तीस मिनट तक या उतने अधिक समय तक जितने की सभापति अनुज्ञा दे, भाषण दे सकता है।[42] किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी संकल्प पर नियत समयावधि में ही चर्चा समाप्त की जानी चाहिए, सभापति ने 2 मई, 1977 को एक निदेश जारी किया कि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पर अधिकतम दो घंटे की समय-सीमा तक चर्चा की जा सकती है।[43]

संकल्प को उपस्थित किया जाना

वह सदस्य, जिसके नाम से संकल्प कार्यावलि में दर्ज है, जब तक कि वह इसे वापस नहीं लेना चाहता, अपना नाम पुकारे जाने पर संकल्प उपस्थित करता है और कार्यावलि में उल्लिखित शब्दों में औपचारिक प्रस्ताव द्वारा अपना भाषण प्रारम्भ करता है।[44]

कोई सदस्य, सभापति की अनुज्ञा से, अपनी ओर से किसी ऐसे अन्य सदस्य को संकल्प उपस्थित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसका नाम कार्यावलि में उसी संकल्प के लिए नीचे दिया गया है और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य तद्नुसार संकल्प उपस्थित कर सकता है।[45]

संकल्प को उपस्थित करने के लिए बुलाये जाने पर यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हो तो उसकी ओर से इस बारे में लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य, सभापति की अनुज्ञा से, उसके नाम से दिये गये संकल्प को उपस्थित कर सकता है।[46]

एक बार एक सदस्य ने एक अन्य सदस्य की ओर से एक संकल्प उपस्थित किया। उस संकल्प के निपटान के पश्चात् उसने पहले वाले संकल्प से आगे कार्यावलि में उल्लिखित अपना संकल्प भी उपस्थित किया।[47]

संशोधन

संकल्प उपस्थित किये जाने के बाद कोई सदस्य, संकल्पों से संबंधित नियमों के अध्यधीन संकल्प में संशोधन उपस्थित कर सकता है।[48] यदि इस प्रकार के संशोधन की सूचना उस दिन से एक दिन पूर्व नहीं दी गई है जिस दिन संकल्प उपस्थित किया गया है तो कोई भी सदस्य संशोधन लाये जाने पर आपत्ति प्रकट कर सकता है और जब तक सभापति संशोधन को उपस्थित करने की अनुमति न दे दे, तब तक इस प्रकार की आपत्ति अभिभावी रहती है।[49] जिन संशोधनों की सूचनायें प्राप्त हो चुकी होती हैं उनकी सूचियां समय-समय पर सदस्यों में वितरित की जाती हैं।[50]

विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य की स्थितियों की जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति से संबंधित संकल्प पर तेरह संशोधन उपस्थित किए गए थे।[51]

एक बार एक संकल्प को स्वीकृत घोषित कर दिया गया। तथापि, इस आधार पर आपत्ति की गई कि उस पर मत-विभाजन हेतु कुछ सदस्यों की मांग सभापीठ द्वारा नहीं मानी गई थी। कुछ देर के लिए सभा को स्थगित करना पड़ा। इसके पुनः समवेत होने पर, सभापीठ ने प्रस्तावक को दो संशोधन उपस्थित करने की अनुमति दी। तब संकल्प, यथासंशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।[52]

चर्चा का दायरा और उत्तर देने का अधिकार

किसी संकल्प पर चर्चा सर्वथा संगत और उसकी परिधि के भीतर होनी चाहिए।[53] संकल्प के प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार प्राप्त है। प्रस्तावक की अनुपस्थिति में संकल्प पर निर्णय लेने के लिए उस पर मतदान कराया जाता है।

एक बार देश में खाद्य स्थिति संबंधी एक संकल्प के बारे में सभा ने संबंधित मंत्री को बहस में हस्तक्षेप न करने की अनुमति दे दी (क्योंकि खाद्य स्थिति पर अगले सप्ताह चर्चा प्रस्तावित थी)।[54]

किसी संकल्प पर एक शुक्रवार को हुई चर्चा अधूरी रही। एक पखवाड़े के बाद जब संकल्प पर और आगे विचार-विमर्श किया जाना था तो एक सदस्य ने सूचित किया कि मंत्री के उत्तर के दृष्टिगत संकल्प को वापस लेने हेतु उसे प्रस्तावक से एक तार प्राप्त हुआ है और प्रस्तावक ने एक तार सचिवालय को भी भेजा है। तथापि, संकल्प पर मत लिया गया और वह अस्वीकृत हो गया।[55]

संकल्प पर मत लेना और उसे विभाजित करना

जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है कि उपस्थित किए गए संकल्प को या तो स्वीकृत, अस्वीकृत किया जाता है, वापस लिया जाता है, स्थगित किया जाता है या बहस में ही समाप्त कर दिया जाता है। पहली तीन आकस्मिकतायें उस समय घटित होती हैं जब पीठासीन अधिकारी चर्चा के अंत में संकल्प पर सभा का मत लेता है। जब कई मुद्दों वाले किसी संकल्प पर चर्चा हो चुकी हो तो सभापति संकल्प का विभाजन कर सकता है और प्रत्येक मुद्दे या किसी मुद्दे पर जैसा भी वह उचित समझे अलग से मत ले सकता है।[56] सभापति संकल्प पर सभा का मत लेने से पूर्व तथ्यत: उसे संशोधित भी कर सकता है।

> 23 अगस्त, 1954 को सभापति ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम बदलकर राज्य सभा किए जाने की घोषणा की थी।[57] पीठासीन अधिकारी ने उस संकल्प को, जिस पर पिछले सत्र से चर्चा चल रही थी, संकल्प के मूल पाठ में निम्न रूप से संशोधनों सहित मत लेने के लिए उपस्थित किया:
>
> (1) मूल संकल्प के प्रारंभिक शब्दों ''यह परिषद्'' के स्थान पर ''यह सभा'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए; और (2) ''प्रस्तावित'' (सैन्य सहायता) शब्द हटा दिया गया।
>
> तथापि, संकल्प अस्वीकृत हो गया।[58]

सभा द्वारा स्वीकृत किए गए प्रत्येक संकल्प की एक प्रति सचिवालय द्वारा सम्बद्ध मंत्री को भेजी जाती है।[59]

संकल्प को वापस लिया जाना

कार्यावलि में जिस सदस्य के नाम में कोई संकल्प हो, वह पुकारे जाने पर, संकल्प वापस ले सकता है और उस अवस्था में अपने आपको उस आशय के कथन मात्र तक ही सीमित रखता है।[60]

> तीन अकादमियों के काम-काज की जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति से संबंधित एक संकल्प कार्यावलि में था। शिक्षा और युवा कार्य मंत्री ने समिति नियुक्त करने के सरकार के निर्णय की सूचना सभा को दी। इस बात के दृष्टिगत सदस्य ने कहा कि वह संकल्प उपस्थित नहीं करना चाहता और इसलिए संकल्प उपस्थित नहीं किया गया।[61]

लेकिन यदि कोई संकल्प या उसमें कोई संशोधन उपस्थित कर दिया गया है तो उसे सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता।[62] सभापति द्वारा सभा की इच्छा जानने से सभा की अनुमति का महत्व प्रकट होता है। यदि कोई भी सदस्य असहमति प्रकट नहीं करता तो अनुमति दे दी जाती है और यदि कोई असहमति का स्वर सुनाई देता है तो सभापति संकल्प को सभा के निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है।[63]

> अपने संकल्प पर बहस का उत्तर देते हुए एक सदस्य ने सभा से उसे वापस लेने की अनुमति मांगी। उपसभापति ने सभा से पूछा कि क्या प्रस्तावक को ऐसी अनुमति दे दी जाये। एक सदस्य ने कहा, 'नहीं'। तत्पश्चात्, संकल्प पर सभा का मत लिया गया और वह अस्वीकृत हो गया।[64]

किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के कारण संकल्प को सूची से हटा दिया जाना

किसी सदस्य के संकल्प पर 17 मार्च, 1972 को चर्चा हुई थी। उस दिन चर्चा पूरी नहीं हुई। 2 अप्रैल, 1972 को उस सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया। संकल्प को परवर्ती दिन अर्थात् 7 अप्रैल, 1972 की कार्यावलि में शामिल कर लिया गया। तथापि, संकल्प को संभवत: इस आधार पर कार्यावलि से हटाने के लिए एक संशोधित कार्यावलि जारी की गई कि गैर-सरकारी सदस्य द्वारा उपस्थित किया गया और सभा में लंबित संकल्प उस सदस्य के सभा का सदस्य न रहने पर व्यपगत हो

जाता है।[65] इसी तरह का एक अवसर 8 मार्च, 2002 को एक सदस्य द्वारा संकल्प उपस्थित करने के बाद दोबारा तब आया जब उस दिन संकल्प पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई। 9 अप्रैल, 2002 को सदस्य सेवानिवृत्त हो गए। उपर्युक्त सादृश्य के अनुसार संकल्प व्यपगत[66] मान लिया गया और उसे संसदीय समाचार भाग-II दिनांक 11 अप्रैल, 2002 में अधिसूचित कर दिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के स्वीकृत किये गए संकल्प

1952 से लेकर अब तक अनेक संकल्पों पर चर्चा हुई है। जो संकल्प स्वीकृत हुए हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

'अवांछनीय फिल्मों के प्रदर्शन का निषेध'— यह श्रीमती लीलावती मुंशी द्वारा उपस्थित किया गया।[67] (1959 में चलचित्र अधिनियम संशोधित किया गया); पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों को मताधिकार—यह श्री बी॰ सी॰ घोष द्वारा उपस्थित किया गया।[68] (1955 में नागरिकता अधिनियम संशोधित किया गया); एन॰सी॰सी॰/ए॰सी॰सी॰ के दायरे को बढ़ाया जाना—यह डा॰ (श्रीमती) सीता परमानन्द द्वारा उपस्थित किया गया;[69] रेलवे, सरकारी कम्पनियों आदि द्वारा विज्ञापनों के लिए भारतीय स्वामित्व वाली/नियंत्रण वाली विज्ञापन एजेंसियों को प्राथमिकता दिया जाना—यह श्रीमती वायलेट अल्वा द्वारा उपस्थित किया गया;[70] लोअर हुगली के पश्चिमी किनारे पर कोयला और कच्ची धातु संबंधी बन्दरगाह का पूर्ण मशीनीकरण—यह प्रो॰ हुमायूं कबीर द्वारा उपस्थित किया गया;[71] विश्व में सभी सरकारों से परमाणु परीक्षणों को रोकने की अपील—यह श्री मुल्क गोविन्दा रेड्डी द्वारा उपस्थित किया गया;[72] फिल्मों के प्रदर्शन को स्वीकृति दिए जाने की प्रक्रियाओं की जांच के लिए समिति की नियुक्ति—यह श्री एस॰ बी॰ बोबडे द्वारा उपस्थित किया गया[73] (खोसला समिति नियुक्त की गई); पूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स तथा विशेषाधिकारों का उत्सादन—यह श्री बांका बिहारी दास द्वारा उपस्थित किया गया था[74] (इस प्रयोजन का संविधान संशोधन विधेयक राज्य सभा में गिर गया था; बाद में इसे पुन: पुर:स्थापित किया गया और यह पारित हो गया); भारतीय स्वामित्व/नियंत्रण वाली विज्ञापन कंपनियों को विज्ञापन दिया जाना—यह श्री जोआकिम अल्वा द्वारा उपस्थित किया गया[75] (यह श्रीमती वायलेट अल्वा द्वारा उपस्थित किए गए संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित किया गया); शहरी गंदी बस्तियों का सुधार—यह श्रीमती मोनिका दास द्वारा उपस्थित किया गया;[76] अफगानिस्तान में रक्त-पात रोकने के लिए विश्व समुदाय से अपील करना—यह श्री चतुरानन मिश्र द्वारा उपस्थित किया गया;[77] महिलाओं पर अत्याचार—यह श्री वीरेन जे॰ शाह द्वारा उपस्थित किया गया।[78]

ख. सरकारी संकल्प

सरकारी संकल्पों के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु कोई अलग नियम नहीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से सरकारी संकल्प, गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों से भिन्न होते हैं। जिस संकल्प की सूचना सरकार के किसी सदस्य अर्थात् मंत्री द्वारा दी जाए, वह सरकारी संकल्पों की श्रेणी में आता है। उनमें इस प्रकार से लॉटरी से नाम निकालने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती जिस प्रकार से गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों के मामले में अपनाई जाती है। सरकारी संकल्पों की सूचना देने हेतु कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, हालांकि वास्तविक व्यवहार में मंत्री अपने संकल्पों की सूचना उन तिथियों से काफी समय पूर्व ही दे देते हैं जिन तिथियों में संकल्पों पर सभा में चर्चा किए जाने का प्रस्ताव होता है। अंतत: नियमों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर केवल नियत दिनों में और नियत घंटों में ही चर्चा होती है। सरकारी संकल्पों पर सरकारी कार्य के लिए नियत किसी भी दिन चर्चा हो सकती है। इन खास विशिष्टताओं को छोड़कर, सरकारी संकल्पों पर भी सामान्यत: वही नियम लागू होते हैं जोकि गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर लागू होते हैं। वह संकल्प, जिसकी सूचना मंत्री ने दी है, सभापति द्वारा ग्राह्य किये जाने के बाद संसदीय समाचार में सरकारी संकल्प शीर्षक के अंतर्गत छपता है। सरकारी संकल्प पर चर्चा हेतु समय की

सिफारिश कार्य मंत्रणा समिति करती है और इस प्रकार सभा के नेता के साथ परामर्श से तिथि नियत की जाती है।[79] संकल्प, जिस मंत्री के नाम में हो उसी के द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसकी ओर से किसी अन्य मंत्री द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। सरकारी संकल्प पर चर्चा सरकारी विधेयक[80] अथवा किसी अन्य मद पर विचारण के साथ-साथ की जा सकती है। (उदाहरण के लिए, रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन संबंधी संकल्प पर रेल बजट या विनियोग (रेल) विधेयक के साथ-साथ चर्चा की जाती है।)[81]

सरकारी संकल्प सामान्यतया निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होते हैं:

(1) *अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अभिसमयों अथवा करारों का अनुमोदन करने वाले संकल्प*

संविधान के अधीन भारत सरकार को विदेशों से संधि और करार आदि करने तथा किसी संधि, आदि को लागू करने का अधिकार है।[82] संवैधानिक रूप से भारत सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा किसी संधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय करार का अनुसमर्थन करने से पूर्व वह संसद् की स्वीकृति प्राप्त करे। यह बात संसद् पर छोड़ दी गई है कि वह इसे कानून द्वारा नियमित करे।[83] निम्नलिखित मामलों में विधान द्वारा इस संधि को प्रभावी बनाने की अपेक्षा की जायेगी:

(क) जहां विदेशी ताकत के लिए धनराशि,[84] जिसे भारत की संचित निधि से लिया गया हो, का उपबंध किया गया हो;

(ख) जहां संधि से किसी भारतीय नागरिक के न्यायालय के विचार योग्य अधिकार प्रभावित होते हों;[85]

(ग) जहां सम्पत्ति, जीवन अथवा स्वतंत्रता का वापस लिया जाना या शुल्क लगाया जाना अपेक्षित हो, जिसे केवल कानून द्वारा किया जा सकता हो।[86]

इन अपवाद स्वरूप मामलों को छोड़कर कार्यपालिका ऐसे समझौते करने के लिए सक्षम है, जो भारत के लिए बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद 1 के तर्कों द्वारा भारतीय क्षेत्रों को किसी विदेशी राज्य के हवाले करने के लिए स्वयं संविधान में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।[87]

तथापि, कभी-कभी मंत्रीगण अंतर्राष्ट्रीय करारों तथा अभिसमयों को संसदीय अनुमोदन दिलाने अथवा भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन दिलाने के प्रयोजनार्थ संकल्पों को सभा पटल पर रख देते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि अभिसमयों और संधियों को सरकारी संकल्पों द्वारा संसद् की स्वीकृति प्रदान करायी गई है। उदाहरण के लिए साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय;[88] सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण हेतु हेग अभिसमय;[89] सार्वभौमिक प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय;[90] संकल्प पारित करके संसद् द्वारा मंजूरी दी गई थी; जबकि ताशकंद घोषणा पर सरकारी प्रस्ताव द्वारा चर्चा की गयी थी जिसे एक संशोधन के साथ इस विषय में[91] सरकार के पक्ष का अनुमोदन करते हुए स्वीकार कर लिया गया था। भारत और यू॰एस॰एस॰आर॰ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग की संधि पर सरकार द्वारा उस विषय पर पूर्व में दिए गये वक्तव्य पर उठाये गये प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी।[92]

(2) *सरकार की कतिपय नीतियों को घोषित अथवा उनका अनुमोदन करने वाले संकल्प*

कोई सरकारी संकल्प सरकार के किसी कार्य अथवा नीति के लिए सभा के अनुमोदन को अभिलिखित करने की मांग कर सकता है। अनेक अवसरों पर ऐसे संकल्पों को राज्य सभा में पेश किया जाता है उन पर

चर्चा की जाती है और उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

> पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में अन्तर्विष्ट[93] सिद्धांतों, उद्देश्यों और विकास-कार्यक्रमों के अनुमोदनार्थ प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक संकल्प उपस्थित किया गया था। भाषा नीति;[94] राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति;[95] राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उन पर की जाने वाली कार्यवाही संबंधी कार्यक्रम;[96] राष्ट्रीय आवास नीति;[97] कृषि नीति;[98] और केन्द्रीय सड़क निधि के सृजन आदि[99] के अनुमोदनार्थ हाल में संकल्प उपस्थित किए गये हैं।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा मानवतावादी महत्व की घटनाओं के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले संकल्प भी सभा के समक्ष लाये गए तथा स्वीकार किए गये।

> चीन के आक्रमण के बाद 8 नवम्बर, 1962 को एक संकल्प उपस्थित किया गया और 13 नवम्बर, 1962 को स्वीकृत किया गया जिसमें भारत की पवित्र भूमि[100] से आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ने के लोगों के निश्चय को व्यक्त किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों की निंदा तथा भर्त्सना करते हुए विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने एक संकल्प उपस्थित किया था जिसे स्वीकृत किया गया था।[101] इसी प्रकार सदन के नेता और विदेश राज्य मंत्री ने 2 मार्च, 2001 को एक संकल्प उपस्थित किया जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान की निंदा की गई जिसने बामियान में दो हजार वर्ष पुरानी बौद्ध प्रतिमाओं और बौद्ध मंदिरों को तोड़ डाला था। उक्त संकल्प सर्वसम्मति से सभा में स्वीकृत हुआ।[101क] 18 मार्च, 2002 को सरकार ने विश्व हिन्दू परिषद् एवं बजरंग दल से संबंधित भीड़ द्वारा उड़ीसा के राज्य विधानमंडल की परिसंपत्ति एवं परिसर में जबरन घुस आने पर चिंता जताई और क्षोभ प्रकट किया और एक संकल्प उपस्थित किया जिसमें इस कृत्य की निंदा की गई। उक्त संकल्प स्वीकृत हुआ।[101ख]

(3) *समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन करने वाले संकल्प*

कभी-कभी कुछ समितियों के प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को सभा द्वारा अनुमोदित कराने के लिए सरकार द्वारा संकल्प लाये जाते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों को रेल मंत्री द्वारा लाये गये संकल्प द्वारा निरपवाद रूप से अनुमोदित कर दिया जाता है।

ग. परिनियत संकल्प

संविधान के किसी उपबंध अथवा संसद् के किसी अधिनियम के अनुसरण में सभा पटल पर रखे जाने वाले संकल्प परिनियत संकल्प कहलाते हैं। ऐसे संकल्पों की सूचना किसी मंत्री अथवा किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा दी जा सकती है। स्वयं परिनियमों की शर्तों में निर्धारित किया गया है कि क्या किसी प्रस्ताव अथवा संकल्प के द्वारा उनके अधीन कोई विशेष कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि किसी प्रस्ताव द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो तो वह परिनियत संकल्प होगा; यदि परिनियम में किसी विशेष विषय के लिए कोई संकल्प उपस्थित किए जाने का प्रावधान है तो उसे परिनियत संकल्प कहा जायेगा। कतिपय अधिनियमितियों में एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सरकार द्वारा संकल्प लाया जाना स्पष्टत: अपेक्षित है।

> सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अधीन, केन्द्रीय सरकार को संरक्षण शुल्क में वृद्धि के संबंध में किसी अधिसूचना के लिए अधिसूचना सभा पटल पर रख दिए जाने के दिन से 15 दिनों की अवधि के भीतर उपस्थित किए गए संकल्प द्वारा संसद् की स्वीकृति लेनी होती है।[102]

> राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन, किसी समिति के गठन के लिए अधिनियम की धारा 3 के प्रभावी हो जाने की तारीख से 10 वर्षों के बाद एक संकल्प लाया गया।[103] [अधिनियम की धारा 3, 26 जनवरी, 1965 को प्रभावी हुई थी तथा संकल्प सभा में 24 जुलाई, 1975 को उपस्थित और स्वीकृत किया गया था।][104]

जब तक कि संविधान अथवा संसद् के अधिनियम, जिसे सभा पटल पर रखा जाता है, में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न किया गया हो, किसी परिनियत संकल्प को उपस्थित करने की कोई विशेष अवधि नहीं होती है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 61, 67, 90 और 94 में उल्लिखित कार्यकर्त्ताओं को हटाने के लिए

संकल्पों को उपस्थित करने के लिए कम से कम 14 दिन के आशय की सूचना देने का प्रावधान है। परिनियत संकल्प के गृहीत हो जाने के बाद उसे सदस्यों की सूचना के लिए ''परिनियत संकल्प'' नामक शीर्षक के अन्तर्गत संसदीय समाचार में प्रकाशित किया जाता है। यह लॉटरी निकाले जाने की शर्त के अध्यधीन नहीं है, भले ही इस संबंध में किसी गैर-सरकारी सदस्य ने सूचना दे दी हो। इस पर चर्चा के लिए समय का आवंटन सरकार द्वारा सरकारी कार्य के लिए आवंटित समय में से किया जाता है। यह कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर किया जाता है। संविधान अथवा संसद् के अधिनियमों के अधीन उठाये जाने वाले परिनियत संकल्प निम्नलिखित होते हैं:

संविधान के अधीन संकल्प

राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने,[105] उपराष्ट्रपति को हटाने,[106] और राज्य सभा के उपसभापति को हटाने के लिए[107] संविधान में संकल्पों के उपस्थित किए जाने का प्रावधान है। ऐसा संकल्प उपस्थित करने का कोई अवसर अभी तक नहीं आया है। इनके अलावा, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के निरनुमोदन,[108] राज्य सूची में दिए गये विषयों[109] के संबंध में संसद् द्वारा विधान बनाने, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन,[110] आपात्कालीन स्थिति का अनुमोदन करने वाली उद्घोषणा,[111] और किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति[112] तथा वित्तीय आपात् स्थिति की स्थिति में संकल्पों को उठाया जा सकता है।[113]

(क) अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए संकल्प (अनुच्छेद 123)

जैसीकि प्रथा है, कोई सदस्य, किसी अध्यादेश के प्रख्यापित होने के तुरन्त बाद ही, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या सत्र के लिए आमंत्रण-पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं अथवा नहीं, ऐसे संकल्प की सूचना देने का हकदार है। तथापि, गृहीत संकल्प सत्र के आरंभ होने से कुछ दिन पूर्व संसदीय समाचार में प्रकाशित हो जाता है। सभी सूचनाएं उन सदस्यों के नाम में, जिनसे ये प्राप्त हुई हैं, उनकी प्राप्ति के समयानुसार गृहीत तथा सुव्यवस्थित की जाती हैं।

सामान्यत: किसी अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले किसी परिनियत संकल्प, जिस पर सदस्य द्वारा सूचना दे दी गई हो तथा अध्यादेश का प्रतिस्थापन करने वाले सरकारी विधेयक पर एक साथ चर्चा की जाती है।

> एक अवसर पर, प्रक्रिया संबंधी काफी लम्बी चर्चा के बाद सदन आन्तरिक सुरक्षा अध्यादेश, 1971 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प तथा सम्बद्ध विधेयक पर पृथक्-पृथक् रूप से विचार करने के लिए सहमत हो गया था।[114]

जिन सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सभी के नाम कार्यसूची में सम्मिलित किए जाते हैं। पहले संकल्प उपस्थित किया जाता है तत्पश्चात् संबंधित मंत्री संबद्ध विधेयक को चर्चा के लिए उपस्थित करता है और उसके बाद उन दोनों पर इकट्ठे चर्चा होती है। चर्चा की समाप्ति के बाद, सामान्यत: संकल्प का प्रस्तावक पहले उत्तर देता है और उसके बाद संबंधित मंत्री उत्तर देता है। तत्पश्चात् पहले संकल्प पर मतदान होता है क्योंकि यदि संकल्प स्वीकृत हो जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि अध्यादेश का निरनुमोदन चाहने वाला संकल्प और विधेयक स्वत: अस्वीकार हो जायेगा। यदि संकल्प अस्वीकृत हो जाता है तो विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर मतदान होता है और विधेयक के आगे के चरणों पर कार्यवाही की जाती है।

> एक अवसर पर दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1991 के निरनुमोदन के लिए संकल्प

उप-सभाध्यक्ष के निर्णायक मत द्वारा गृहीत हुआ और संबद्ध विधेयक, जिस पर संकल्प के साथ ही चर्चा हुई थी, पर आगे कार्यवाही नहीं की गई थी।[115]

तथापि, उससे पूर्व एक अवसर पर राज्य सभा में बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1977 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर जिसे एक सदस्य द्वारा उपस्थित किया गया था तथा लोक सभा द्वारा यथा पारित संबद्ध विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव, जिसे संबंधित मंत्री द्वारा उपस्थित किया गया था, पर साथ-साथ चर्चा की गई थी। संकल्प स्वीकृत हुआ था। इसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव रद्द माना जाता। किन्तु प्रस्ताव पर अलग से भी मतदान हुआ और उसे रद्द कर दिया गया।[116] बाद में विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई थी।

इसी प्रकार राज्य सभा में एक सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए आतंकवाद निवारण (दूसरा) अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन करने वाले संकल्प और संबद्ध मंत्री के इससे संबंधित विधेयक पर लोक सभा द्वारा पारित रूप में विचार किए जाने के प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा की गई। संकल्प स्वीकृत हुआ। इसके प्रभाव से प्रस्ताव अस्वीकृत समझा गया। किन्तु प्रस्ताव को भी पृथक् रूप से प्रस्तुत किया गया और उसे अस्वीकृत किया गया।[117] इसलिए, दोनों सभाओं की 26 मार्च, 2002 को एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें विधेयक पारित किया गया।

(ख) राज्य-संबंधी विषय पर संसद् द्वारा विधान बनाने के लिए संकल्प (अनुच्छेद 249)

अध्याय 1 में अनुच्छेद 249 की पृष्ठभूमि पहले ही रेखांकित की जा चुकी है जिसमें राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए संकल्प पारित करने संबंधी विषय में राज्य सभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद् राज्य सूची में प्रमाणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाये तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद् के लिए उस विषय के संबंध में भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा।[118] ऐसा संकल्प, एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। तथापि, राज्य सभा मूल संकल्प को प्रवृत्त बनाये रखने के लिए उत्तरोत्तर संकल्प पारित कर सकती है किन्तु ऐसे प्रत्येक संकल्प की सीमित अवधि केवल एक वर्ष की होगी।[119] किसी संकल्प द्वारा संसद् को प्रदान की गई शक्ति के माध्यम से बनाया गया कोई कानून, संकल्प के निष्प्रभावी हो जाने के 6 माह बाद निष्प्रभावी हो जायेगा सिवाय उन बातों के संबंध में जो उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व की गई हो अथवा किए जाने से छोड़ दी गई थीं।[120]

अनुच्छेद 249 का 1950 में अस्थायी संसद् द्वारा काले धन पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु सर्वप्रथम सहारा लिया गया था, जिसने कि 12 अगस्त, 1950 को एक संकल्प पारित किया था राज्य सभा ने 22 जुलाई, 1952 को अपेक्षित बहुमत से निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:

जबकि अस्थायी संसद् ने तत्समय प्रवृत्त संविधान के अनुच्छेद 249 की धारा (1) के अनुसरण में 12 अगस्त, 1950 को पारित संकल्प (जिसे इसके बाद उक्त संकल्प कहा गया है) द्वारा यह उद्घोषित किया था कि राष्ट्रीय हित में यह अनिवार्य है कि अस्थायी संसद् 15 अगस्त, 1950 से एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सूची में प्रमाणित निम्नलिखित विषयों के संबंध में कानून बनाये, अर्थात्:

(1) सूची III की 33वीं प्रविष्टि के उपबंधों के अध्यधीन राज्य सूची के भीतर व्यापार तथा वाणिज्य; और

(2) सूची III की 33वीं प्रविष्टि के उपबंधों के अध्यधीन वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण;

और यत: अस्थायी संसद् द्वारा 7 जून, 1951 को पारित एक अन्य संकल्प द्वारा, उक्त संकल्प को 15 अगस्त, 1951 से और एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रखा गया था;

और यत: राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद् को 15 अगस्त, 1952 से और एक वर्ष की अवधि के लिए उपरोक्त विषयों के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए;

यह परिषद् उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के परन्तुक के अनुसरण में यह संकल्प करती है कि वह उक्त संकल्प को उस तारीख से जब यह संकल्प प्रवृत्त नहीं रहेगा उससे और एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहने का अनुमोदन करती है।[121]

अस्थायी संसद् ने इस संकल्प के अनुसरण में आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) संशोधन अधिनियम, 1950 तथा माल आपूर्ति और मूल्य अधिनियम, 1950 अधिनियमित किए।

पुन: 1951 में अस्थायी संसद् ने निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

यत: कतिपय निष्क्रान्त संपत्ति के बेहतर प्रबंधन और निपटान के लिए गैर-निष्क्रांत लोगों से निष्क्रांत लोगों के हितों को अलग करने का उपबंध करने हेतु कानून बनाना आवश्यक है और ऐसे कानून अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सूची में प्रगणित कतिपय विषयों से संबंधित हो सकते हैं;

यह सभा संविधान के अनुच्छेद 249, जिस रूप में राष्ट्रपति द्वारा इसे संविधान के अनुच्छेद 392 के अधीन अनुकूलित किया गया है और जिस रूप में यह इस समय प्रवृत्त है, के अनुसरण में यह संकल्प करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि संसद् राज्य सूची की प्रविष्टि 18 और 30 में प्रगणित निम्नलिखित विषयों के संबंध में 15 जून, 1951 से एक वर्ष की अवधि के लिए कानून बनाये, अर्थात्–

भूमि में अथवा उस पर अधिकार, कृषि संबंधी भूमि का अन्तरण और अन्य संक्रामण, साहूकारी और साहूकार तथा कृषि ऋणग्रस्तता से राहत।[122]

पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और उन्हें बसाने से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए अस्थायी संसद् ने इस संकल्प के अनुसरण में निष्क्रांत हित पृथक्करण अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया।

लगभग 35 वर्षों के दौरान यह अनुच्छेद निष्क्रिय रहा और उसके बाद 1986 में पुन: इसका अवलम्ब लिया गया। 13 अगस्त, 1986 को राज्य सभा ने अपेक्षित बहुमत से निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

यत: पश्चिमोत्तर सीमा से घुसपैठ और सीमावर्ती क्षेत्रों में अनियंत्रित आतंकवादी गतिविधियों के कारण पंजाब और भारत के अन्य पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति अत्यंत गंभीर हो गयी है;

अत: यह सभा संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसरण में यह संकल्प करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद् 12 अगस्त, 1986 से एक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित विषयों के संबंध में कानून बनाये, अर्थात्:

लोक व्यवस्था (परन्तु जिसमें नौवहन, सैनिक अथवा वायु सेना अथवा संघ की कोई अन्य सशस्त्र सेना या संघ के नियंत्रणाधीन किसी अन्य बल या उसके अधीन सिविल शक्ति की सहायतार्थ किसी दस्ते का प्रयोग सम्मिलित नहीं है) [राज्य सूची–II की प्रविष्टि-I];

पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित) सूची-I की प्रविष्टि 2क के उपबंधों के अध्यधीन [राज्य सूची–II की प्रविष्टि-2];

कारागारों, सुधारगृहों, बोर्स्टल संस्थाएं तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के प्रयोग के लिए अन्य राज्यों के साथ व्यवस्था [राज्य सूची - सूची–II की प्रविष्टि-4];

इस सूची में किसी विषय के संबंध में कानून के विरुद्ध अपराध [राज्य सूची - सूची–II की प्रविष्टि-64];

इस सूची में किन्हीं विषयों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां [राज्य सूची - सूची–II की प्रविष्टि-65];

किसी न्यायालय में ली गई फीस को शामिल न करते हुए इस सूची में किसी भी विषय के संबंध में फीस [राज्य सूची – सूची-II की प्रविष्टि-66][123]।

तथापि, उक्त संकल्प के अनुसरण में संसद् द्वारा कोई विधान पारित नहीं किया गया था।

अनुच्छेद 249 के संबंध में सरकारिया आयोग के विचार

अनुच्छेद 249 के संबंध में सरकारिया आयोग ने केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में इस अनुच्छेद को लोप करने संबंधी सुझाव पर विचार किया था। तथापि, आयोग ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये:

> इस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध तीन अन्त:निर्मित सुरक्षोपाय किए गये हैं। पहला सुरक्षोपाय यह है कि संसद् केवल तभी अधिकार-क्षेत्र ग्रहण कर सकती है जब राज्य सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य उस आशय का संकल्प पारित कर दें। दूसरे, संकल्प में राज्य सूची में प्रगणित वह विषय, जिसके संबंध में संसद् को राष्ट्रीय हित में कानून बनाने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा हो, विनिर्दिष्ट करना अपेक्षित है। सूची-II में दी गई कतिपय प्रविष्टियां बहुत-से विषयों का गुच्छा बन गई हैं। अत: राज्य सभा उस संकल्प को किसी एक प्रविष्टि में विशेषत: उन विषयों में से किसी एक के संबंध में (जो किसी विषय का एक पहलू भी हो सकता है) विशिष्ट रूप से सीमित करने के लिये मुक्त है। तीसरे, अनुच्छेद के खंड (1) के अधीन पारित कोई संकल्प एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए प्रवृत्त बना रह सकता है जैसाकि उसमें विनिर्दिष्ट हो जब तक कि उसे किसी नये संकल्प द्वारा एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए बढ़ा न दिया जाये। खंड(1) के अनुसरण में पारित कोई कानून, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के बाद छ: महीने की अवधि समाप्त होने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा। यह सच है कि ये सुरक्षोपाय दोषरहित नहीं हैं। किन्तु मुख्य बात यह है कि हर स्थिति में, शक्ति का प्रयोग संसद्, जो सभी राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा बनती है, द्वारा किया जायेगा; स्वयं इस बात की गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि जब 1950-51 में उपरोक्त विधान को पारित करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया गया था तो इससे राज्यों अथवा उनके लोगों के हितों को कोई नुकसान पहुंचा था। हाल के एक मामले में संसद् को शक्ति दी गई थी कि वह पश्चिमोत्तर सीमा पर उत्पन्न स्थिति, जिसे अनुच्छेद 249 के अधीन राज्य सभा के संकल्प के अनुसार ''अत्यंत गम्भीर'' बताया गया था, संबंधी कुछ विषयों के बारे में कानून बनाये।
>
> अनुच्छेद में असाधारण प्रवृत्ति की अविलम्बनीय समस्याओं, जो अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय महत्व की बन जाती हैं, से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी रूप से निपटने के लिए सरल तथा तेजी से निपटने का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद का उपयोग उस स्थिति में भी किया जा सकता है जहां तेजी से कार्यवाही किया जाना महत्वपूर्ण बात हो तथा जहां अनुच्छेद 352 और 356 के आपात्कालीन उपबंधों का आह्वान किया जाना आवश्यक अथवा समीचीन नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 249 की तुलना में अनुच्छेद 252 में जिस प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, वह जटिल है और उसमें बहुत समय लग जाता है। इसलिए इसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 252 में अनुच्छेद 249 के समान प्रभावोत्पादक अथवा किसी बेहतर विकल्प का उपबंध है अत: हमारे समक्ष साक्ष्य के आधार पर यह कहना सम्भव नहीं है कि इस असाधारण शक्ति का दुरुपयोग किया गया है। इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में अस्थायी अवधियों के लिए, जिन्हें उत्तरोत्तर संकल्पों द्वारा अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाया गया है। पूर्ण संयम के साथ किया गया है।[124]

(ग) अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संकल्प (अनुच्छेद 312)

यदि राज्य सभा किसी ऐसे संकल्प द्वारा जिसका उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा मतदान द्वारा समर्थन किया गया हो, घोषणा करती है कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, तो संसद् कानून द्वारा संघ तथा राज्यों के लिए समान एक अथवा अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकती है।[125] इस अनुच्छेद के अधीन राज्य सभा में 6 दिसम्बर, 1961 को भारतीय इंजीनियरी सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के सृजन के लिए एक संकल्प स्वीकृत हुआ था।[126] इस संकल्प के अनुसरण में संसद् ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम,

1951 में संशोधन किया ताकि इन सेवाओं को विधान में शामिल किया जा सके। पुन: 30 मार्च, 1965 को राज्य सभा ने भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा के लिए एक संकल्प पारित किया।[127]

संयोग से यह भी बता दिया जाये कि एक गैर-सरकारी सदस्य ने भी अनुच्छेद 312 के अधीन उपरोक्त सेवाओं (भारतीय कृषि सेवा को छोड़कर) तथा भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन हेतु परिनियत संकल्प की अधिसूचना दी थी। संकल्प दो सत्रों मे गृहीत हुआ किन्तु चर्चा तक नहीं पहुंच सका।[128]

(घ) आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ संकल्प (अनुच्छेद 352)

यदि राष्ट्रपति का इस बाबत समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात्कालीन स्थिति बनी हुई है जिससे भारत या उसके किसी क्षेत्र को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से खतरा पैदा हो गया है। तो वह सम्पूर्ण भारत अथवा उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग के बारे में इस आशय की घोषणा कर सकता है।[129] ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को, सिवाय ऐसी किसी घोषणा के मामले में जो पूर्ववर्ती घोषणा का प्रतिसंहरण करती हो तथा एक माह पूरा होने पर प्रवृत्त न रह गयी हो, तथा जब तक उसे उक्त अवधि के समाप्त होने से पूर्व संकल्प द्वारा संसद् की दोनों सभाओं में गृहीत न कर लिया गया हो, संसद् की प्रत्येक सभा के समक्ष रखना होता है।[130]

यदि उद्घोषणा के जारी किए जाने की अवधि के दौरान अथवा उसके एक माह के भीतर लोक सभा भंग हो जाती है तथा इसी दौरान राज्य सभा संकल्प द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है तो उद्घोषणा लोक सभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 30 दिन तक प्रभावी बनी रहती है।[131] लोक सभा संकल्प द्वारा 30 दिनों के भीतर उद्घोषणा का अनुमोदन कर सकती है। इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, जब तक कि वह प्रतिसंहृत नहीं हो जाती, उद्घोषणा को स्वीकृत करने वाले दूसरे संकल्प के पारित हो जाने से और छह माह की अवधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी।[132] यदि किसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला कोई संकल्प दोनों सभाओं द्वारा पारित हो जाता है, तो वह उद्घोषणा, जब तक कि वह प्रतिसंहृत नहीं हो जाती, और छह माह की अवधि के लिए प्रवृत्त बनी रहेगी।[133] यदि लोक सभा ऐसी छह माह की किसी अवधि के दौरान भंग हो जाती है तो राज्य सभा संकल्प पारित कर सकती है तथा इस प्रकार उद्घोषणा आगे प्रवृत्त बनी रह सकती है, जब तक कि, लोक सभा अपने पुनर्गठन के बाद अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर किसी संकल्प को पारित नहीं कर देती।[134] इस प्रकार राज्य सभा को लोक सभा के भंग हो जाने के दौरान, किसी उद्घोषणा का अनुमोदन किये जाने के संबंध में विशेष शक्ति दी गई है।

उद्घोषणा का अनुमोदन करने अथवा उसे आगे प्रवृत्त बनाये रखने वाले संकल्प को संसद् के किसी सदन में उस सदन की पूर्ण सदस्यता के बहुमत से और उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना अपेक्षित है।[135]

अनुच्छेद 352 को संविधान (चवालीसवां) संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा पर्याप्त संशोधित कर दिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ संशोधन में यह उपबन्ध किया गया है कि उद्घोषणा को (संविधान में दो माह के मूल प्रावधान के बजाय) एक माह के भीतर संसद् की दोनों सभाओं के संकल्पों द्वारा अनुमोदित कराया जाना होता है और ऐसे संकल्पों को जैसाकि ऊपर विनिर्दिष्ट है (पूर्व निर्धारित साधारण बहुमत की अपेक्षा) विशेष बहुमत द्वारा पारित कराना होता है। यह उपबन्ध भी किया गया है कि आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने के लिए प्रत्येक छह माह के लिए दोनों सभाओं के संकल्पों द्वारा अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित है। अन्य महत्वपूर्ण उपबन्ध यह किया गया है कि लोक सभा को आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणा को अनुमोदित करने की शक्ति दी गई है और उस सभा के 1/10 सदस्य सूचना द्वारा भी आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणा को जारी रखने पर विचार करने हेतु लोक सभा की विशेष बैठक की मांग कर सकते हैं।

ऐसे तीन अवसर आये हैं जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपात्कालीन स्थिति की उद्घोषणाएं जारी की गईं। 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई उद्घोषणा को 8 नवम्बर, 1962 को संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखा गया था। उसका 13 और 14 नवम्बर को क्रमशः राज्य सभा तथा लोक सभा द्वारा अपने-अपने संकल्पों द्वारा अनुमोदन किया गया। 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को 4 दिसम्बर, 1971 को संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखा गया। उसका राज्य सभा तथा लोक सभा द्वारा एक ही दिन संकल्प पारित करके अनुमोदन किया गया। 25 जून, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 21 जुलाई, 1975 को संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखा गया। उसे 22 जुलाई, 1975 को राज्य सभा तथा 23 जुलाई, 1975 को लोक सभा द्वारा अनुमोदित किया गया।

(ङ) किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के संबंध में उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ संकल्प (अनुच्छेद 356)

उद्घोषणा का सभा पटल पर रखा जाना

यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य ग्रहण करते हुए उस प्रयोजनार्थ अन्य आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध कर सकेगा।[136] ऐसी किसी उद्घोषणा का किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।[137] प्रत्येक उद्घोषणा को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होगा।[138]

> जब उड़ीसा के संबंध में अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा सभा पटल पर रखी जा रही थी तो कुछ सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई थी कि चूंकि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी, उसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। उस पर सभापति ने यह व्यवस्था दी थी:
>
> > ...संविधान में प्रत्येक उद्घोषणा का सभा के पटल पर रखा जाना अपेक्षित है। इसकी वैधता क्या है, यह कब समाप्त होगी, ये ऐसे विषय हैं जिन पर इस अवस्था में चर्चा नहीं की जा सकती। जहां तक इसके सभा पटल पर रखे जाने का संबंध है यह संविधान की आवश्यकता है और इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता।[139]

किसी उद्घोषणा को सभा पटल पर रखते समय राज्यपाल के प्रतिवेदन की प्रति भी सभा पटल पर रखा जाना, यदि राष्ट्रपति ने उस प्रतिवेदन पर कार्यवाही की है, आवश्यक नहीं है।

> जब केरल के बारे में गृह मंत्री ने उद्घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखी तो औचित्य प्रश्न पर यह मांग की गई थी कि राज्यपाल के प्रतिवेदन को उद्घोषणा के साथ सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। सभापति ने विचार व्यक्त किया था कि:
>
> (क) गृह मंत्री के वक्तव्य के अनुसार, उन दस्तावेजों को, जिन पर उद्घोषणा आधारित हो सभा पटल पर रखने की संवैधानिक बाध्यता नहीं है;
>
> (ख) मंत्री महोदय, प्रासंगिक मुद्दे से संबद्ध पर्याप्त सूचना देंगे;
>
> (ग) संसद् सर्वोपरि है किन्तु वह स्वयं निर्मित नियमों से बंधी है, ऐसे कई नियम हैं जिनमें कहा गया है कि ऐसे गोपनीय प्रकृति के दस्तावेजों को जिनका लोक-हित में प्रकाशन उचित नहीं है, सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

अत: सभापति ने कहा कि जब उन्होंने यह महसूस किया कि लोक-हित की दृष्टि से दस्तावेज का प्रकाशन उचित नहीं है,[140] तो वह मंत्री को उसे सभा के पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सके।

पुन: बाद में एक अवसर पर एक औचित्य प्रश्न किए जाने पर कि राज्यपाल के प्रतिवेदन को उद्घोषणा के साथ सभा पटल पर रखा जाये, सभापीठ ने व्यवस्था दी कि यदि सरकार उसे सभा पटल पर रखने की इच्छुक हो, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु वह सरकार को उसे सभा के पटल पर रखने का निर्देश नहीं देंगे क्योंकि उनकी राय में कानून द्वारा उसे सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित नहीं है।[141]

पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के लिए संकल्प के दौरान, राज्यपाल के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की मांग की गई थी। तथापि, पूर्व निर्णय के अभाव में मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।[142]

हालांकि, परिपाटी के अनुसार सामान्यत: राज्यपाल का प्रतिवेदन प्रारम्भिक उद्घोषणा के साथ सभा पटल पर रखा जाता है। यद्यपि, कुछ अवसरों पर पूरे प्रतिवेदन के स्थान पर केवल प्रतिवेदन का सारांश ही रखा गया है।[143]

उद्घोषणा का अनुमोदन

कोई उद्घोषणा, जब तक कि उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो, दो माह की अवधि के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगी, जब तक कि इस अवधि के समाप्त होने से पहले संसद् की दोनों सभाओं द्वारा उसे संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।[144]

यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्व उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने वाली उद्घोषणा न हो) जारी कर दी जाती है जबकि लोक सभा भंग हो गयी हो अथवा वह दो माह की अवधि के भीतर भंग कर दी गई हो और यदि राज्य सभा संकल्प द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन कर देती है किन्तु लोक सभा ने उस अवधि के समाप्त हो जाने से पूर्व ऐसा न किया हो, तो उद्घोषणा उस तारीख से, जबकि लोक सभा की अपने पुनर्गठन के बाद पहली बैठक हो, 30 दिन समाप्त होने के बाद प्रवृत्त नहीं रहेगी, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व लोक सभा भी उद्घोषणा का अनुमोदन करते हुए संकल्प पारित न कर दे।[145]

इस उपबन्ध के अधीन राज्य सभा के दो अवसरों पर विशेष सत्र हुए, पहली बार तमिलनाडु और नागालैंड के संबंध में उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए तथा दूसरी बार हरियाणा के संबंध में उद्घोषणा का अनुमोदन करने के लिए। दोनों ही अवसरों पर लोक सभा भंग हो चुकी थी।[146]

उद्घोषणा का प्रपत्र इस प्रकार है: कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन.....राज्य के संबंध में दिनांक.....को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।[147]

उद्घोषणा को जारी रखते हुए संकल्प का प्रपत्र इस प्रकार है: यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन.....राज्य के संबंध में दिनांक.....को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को दिनांक.....से और छह माह की अवधि के लिए प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करती है।[148]

संकल्प पर संशोधन

उद्घोषणा को सशर्त अनुमोदन देने का कोई उपबंध नहीं है।

एक अवसर पर जब एक सदस्य ने पश्चिमी बंगाल के संबंध में उद्घोषणा संबंधी एक संकल्प में एक संशोधन इस रूप से उपस्थित करना चाहा कि ''इसे अनुमोदित करते हुए सभा सरकार को यह निदेश देती है कि वह जून से पहले मध्यावधि चुनाव कराये'' तब सभापीठ ने यह कहते हुए इसे अनुचित ठहराया कि यह क्षेत्राधिकार के बाहर है और यह विचार व्यक्त किया कि ''आप संकल्प को या तो अनुमोदित कर सकते हैं अथवा रद्द कर सकते हैं परन्तु आप इसका विस्तार नहीं कर सकते।''[149]

तथापि, राज्य सभा में उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प पर संशोधन गृहीत किए गए हैं और उपस्थित किए गए हैं जिनसे संकल्प में शर्त लगाई जा सके अथवा राय व्यक्त की जा सके या इसकी अवधि को सीमित किया जा सके। उपस्थित किए गये संशोधनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

''(1) पेप्सू के संबंध में उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प के संबंध में संशोधन उपस्थित किए गये थे कि संकल्प के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् ''किन्तु पेप्सू के राज्य प्रमुख को इन कृत्यों के प्रत्यायोजन पर खेद व्यक्त करते है;'' ''परन्तु सरकार को आदेश देती है कि वह राज्य में अब से तीन महीनों के भीतर चुनाव कराये;[150] (2) आन्ध्र के संबंध में ''अनुमोदन करती है'' शब्दों के स्थान पर ''अनुचित समझती है'' शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिए संशोधन उपस्थित किए गये थे। एक प्रतिस्थानी संकल्प भी उपस्थित किया गया था कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर विचार करने के बाद इस सभा की यह सम्मति है कि राष्ट्रपति द्वारा आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के सभी कृत्यों को स्वयं ग्रहण किये जाने से पहले आन्ध्र विधान सभा में विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने हेतु आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए थे।[151] (संशोधन अस्वीकृत कर दिए गए); (3) एक सदस्य ने पंजाब के संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया कि उद्घोषणा के जारी रहने की सीमा (छह महीने के बजाय) ''31 दिसम्बर, 1989 तक'' तय कर दी जाए;[152] एक अन्य अवसर पर एक सदस्य ने संकल्प के अंत में एक यह पैराग्राफ जोड़ना चाहा: ''कि यह सभा यह संकल्प और करती है कि पंजाब विधान सभा के आम चुनाव अधिक से अधिक 1 जनवरी, 1991 तक करा दिए जाएं;[153] (4) जम्मू और कश्मीर के संबंध में एक सदस्य ने यह संशोधन प्रस्तुत किया: ''कि यह सभा यह संकल्प और करती है कि राज्य विधान सभा के पुनर्जीवन और नए चुनाव कराने के लिए तब तक कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे जब तक कि वर्तमान आतंकवादी गतिविधियों पर पूर्णत: अंकुश नहीं लग जाता;''[154] एक अन्य सदस्य ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि राज्य विधान सभा के चुनाव 1 नवम्बर, 1990 से पहले करा दिए जाएं;[155] एक अन्य संशोधन में उद्घोषणा की अवधि को (छह महीने के बजाय) तीन महीने तक[156] सीमित करना चाहा गया; एक अन्य संशोधन में इस संकल्प में एक यह पैराग्राफ शामिल करना चाहा गया कि ''जम्मू और कश्मीर विधान सभा के चुनाव तथा लोक सभा में उस राज्य से छह सीटों के चुनाव चार महीने के भीतर कराए जाएंगे।''[157]

संकल्प का निरनुमोदन

इस उद्घोषणा का निरनुमोदन चाहने वाला संकल्प भी अग्राह्य है क्योंकि अनुच्छेद 356 में ऐसे किसी संकल्प के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि सभा चाहे तो उद्घोषणा को अनुमोदित करने के लिए इस संकल्प को मत द्वारा पराजित कर सकती है जैसाकि सभापति महोदय ने अपने निर्णय में कहा है:

जैसाकि सब जानते हैं, स्वयं संविधान में अध्यादेश और उद्घोषणा के बीच अंतर किया गया है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों के अध्यधीन हो सकते हैं लेकिन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तद्नुरूप कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अतएव निरनुमोदन चाहने वाले प्रस्ताव को ग्रहण नहीं किया जा सका।[158]

पहले एक बार जब जम्मू और कश्मीर राज्य संबंधी उद्घोषणा से संबंधित कागजात जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी किए गए थे, सभा पटल पर रखे गए थे, तब एक सदस्य ने यह अनुरोध किया था कि चूंकि राज्य संबंधी ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाला परिनियत संकल्प सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया

था, अतएव, सदस्यों को उद्घोषणा के निरनुमोदन का संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार भी होना चाहिए। अत: सदस्य महोदय ने सभापति से यह अनुरोध किया कि वह इस संभावना की जांच करें कि इसके बाद से संसद-सदस्य को भी यह एक अवसर मिलना चाहिए, और यह अवसर उसे अधिकारपूर्वक मिलना चाहिए कि वह इस मामले को उठाए, ताकि इस पर कार्यपालिका की ही पूरी तरह से मनमर्जी न चले। सभापति ने यह निर्णय किया कि यदि सरकार उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं चाहती है तो उसे संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और यदि वह संकल्प प्रस्तुत नहीं करती है तो उद्घोषणा व्यपगत हो जाती है अत: चर्चा की कोई बात नहीं है। उद्घोषणा के जारी रहने पर ही सभा में चर्चा चलती।[159]

उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के लिए प्रस्ताव

अतएव संवैधानिक उपबंध की दृष्टि से उद्घोषणा के निरनुमोदन के लिए संकल्प की सूचना ग्रहण नहीं की जाती है। परंतु सदस्य राष्ट्रपति को उद्घोषणा के प्रतिसंहरण की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव की सूचना दे सकता है। ऐसे प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकृत किए गए हैं कि स्वयं संविधान में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के प्रतिसंहरण पर विचार किया गया है।[160]

एक बार, पश्चिमी बंगाल के संबंध में उद्घोषणा के प्रतिसंहरण से संबंधित प्रस्ताव भी उस उद्घोषणा के सभा पटल पर रखे जाने से पूर्व ग्रहण किया गया था।[161]

छठे दशक के अंतिम वर्षों से अभी कुछ वर्ष पूर्व तक ही संबद्ध सरकारी संकल्पों के अनुमोदनार्थ चर्चा के लिए उद्घोषणाओं के प्रतिसंहरण संबंधी प्रस्तावों को भी कार्यावलि में शामिल करने की प्रथा थी। कभी-कभी एक जैसे मामले भी संयुक्त चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं:

बिहार से संबंधित उद्घोषणा के प्रतिसंहरण का प्रस्ताव गृहीत किया गया[162] और कार्यावलि में उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले सरकारी संकल्प के साथ शामिल किया गया।[163] (लेकिन जिस सदस्य ने प्रस्ताव की सूचना दी थी वह उपस्थित नहीं था); राजस्थान संबंधी उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के प्रस्ताव पर भी इस विषय के सरकारी संकल्प के साथ चर्चा की गई;[164] पश्चिमी बंगाल संबंधी उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के प्रस्ताव पर भी उद्घोषणा के अनुमोदन वाले सरकारी संकल्प के साथ-साथ चर्चा की गई;[165] कर्णाटक के राज्यपाल की कार्यवाही के अनुमोदन और उसे वापस बुलाने की सिफारिश करने वाले प्रस्ताव पर कर्णाटक संबंधी उद्घोषणा के अनुमोदन वाले परिनियत संकल्प के साथ चर्चा की गई (संकल्प स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव अस्वीकृत)[166] तमिलनाडु से संबंधित उद्घोषणा के प्रतिसंहरण के प्रस्ताव को इसकी उद्घोषणा के अनुमोदन वाले सरकारी संकल्प के साथ सूचीबद्ध किया गया[167] (यह प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया गया क्योंकि विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया था); नौ राज्यों से संबंधित उद्घोषणाओं के प्रतिसंहरण की राष्ट्रपति से सिफारिश करने वाले बहुप्रयोजनीय प्रस्ताव पर उद्घोषणाओं के अनुमोदन वाले नौ संकल्पों के साथ चर्चा की गई (प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और संकल्प स्वीकृत हुए)।[168]

उपर्युक्त परंपरा के अनुसरण में जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से संबंधित उद्घोषणाओं के प्रतिसंहरण की सिफारिश करने वाले प्रस्तावों को 21 दिसम्बर, 1992 को उनके अनुमोदन वाले संकल्पों के साथ चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया तो कुछ सदस्यों ने इस परंपरा पर आपत्ति की। संकल्प स्वीकृत होने के बाद सभापीठ ने संकल्पों को यह कहते हुए सभा में नहीं रखा कि ये निष्फल हो गए हैं।[169]

इस संदर्भ में प्रसंगवश कुछ असामान्य पूर्वोदाहरणों का भी उल्लेख किया जा सकता है।

एक बार हरियाणा से संबंधित उद्घोषणा के अनुमोदन वाले सरकारी संकल्पों के साथ किसी सदस्य द्वारा सूचित किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई:

> ''कि यह सभा पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के उस राज्य में संयुक्त मोर्चा (यूनाइटेड फ्रंट) सरकार को बर्खास्त करने और डा॰ पी॰ सी॰ घोष के नेतृत्व वाली सरकार की अवैध स्थापना करने तथा इस प्रकार संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को निर्ममतापूर्वक पैरों तले रौंदने के असंवैधानिक कृत्य की भर्त्सना करती है।''

यह संकल्प स्वीकृत हुआ और प्रस्ताव अस्वीकृत।[170]

एक बार एक सदस्य ने विशेषाधिकार का एक रोचक प्रश्न उठाया। उन्होंने लोक सभा की कार्यावलि की आंध्र राज्य विधायी (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1954 के पुर:स्थापन से संबंधित एक मद का उस सभा में उल्लेख किया। सदस्य का यह कहना था यह सूचना राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा किए जाने और राज्य सभा द्वारा स्वीकृत किए जाने से पूर्व ही जारी की जा चुकी थी। उन्होंने यह निवेदन किया कि चूंकि राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर राज्य सभा के निर्णय की पूर्वाशा संविधान के उल्लंघन और सभा के विशेषाधिकार भंग के बराबर है, अत: यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। सभापति महोदय ने निम्न निर्णय दिया:

> अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक उद्घोषणा पर संसद् की दोनों सभाओं की मंजूरी लेनी जरूरी है, लेकिन इस विधेयक को अनुच्छेद 357(1) में किए गए प्रावधान के अनुसरण में लोक सभा में पुर:स्थापित करना चाहा गया है। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि : अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा.... उसमें यह नहीं कहा गया है, ''राष्ट्रपति द्वारा की गई और दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत की गई उद्घोषणा द्वारा।'' उसमें मात्र यह कहा गया है: जहां अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी वहां राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने की, आदि, आदि। इस अनुच्छेद में आप यह देखेंगे कि संसद् द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान करने की आवश्यक पूर्व शर्त नहीं है। यह आगे इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि उद्घोषणा संसद् के अनुमोदन के बिना भी संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अधीन दो महीने तक प्रवर्तन में हो सकती है। यह उद्घोषणा 15 नवम्बर को जारी की गई थी और अत: 15 जनवरी तक संसद् को अनुमोदन के बिना यह प्रवर्तन में हो सकती है और विधान बनाने की शक्ति देने का अधिकार उद्घोषणा के लिए विधान-मंडल के अनुमोदन को प्राप्त किए बिना भी इस अवधि में प्रयोग में लाया जा सकता है। अत: दोनों सभाओं द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन से पहले ही संसद् में इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव करते हुए संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है। साथ ही, यह भी तर्क दिया जा सकता है कि भले ही यह विधि-सम्मत हो, फिर भी यह समयोचित नहीं होगा और इसे एक परिपाटी बनाया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से यह अधिक उपयुक्त रहेगा कि उद्घोषणा को अनुमोदन मिलने तक प्रतीक्षा की जाए और तत्पश्चात् विधेयक के पुर:स्थापन पर विचार किया जाए। मैं नहीं समझता कि इस संवैधानिक औचित्य का भी उल्लंघन हुआ है।
>
> मैंने लोक सभा की सूचना मंगवाई है उसमें उसके पुर:स्थापन का ठीक समय नहीं बताया गया है। इस सभा द्वारा पारित किये जाने वाले, उद्घोषणा के अनुमोदन संबंधी संकल्प के लिए कुछ सोचकर ही समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो गृह मंत्री जी यह चाहते हैं कि आज इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव उपस्थित किया जाए और उन्हें यह पूरी उम्मीद है कि हमारी सभा इस संकल्प को शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर देगी और इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं करेगी। लेकिन हम हमेशा अधिक समय लेते हैं। साथ ही, उन्होंने वह समय विनिर्दिष्ट नहीं किया है जब इसका लोक सभा में पुर:स्थापन किया जाना है।
>
> इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि लोक सभा की कार्यावलि में शामिल विधेयक के पुर:स्थापन के प्रस्ताव से राज्य सभा की कोई अवमानना नहीं होती है और इसमें संविधान के उल्लंघन की कोई बात नहीं है और किसी औचित्य के उल्लंघन की कोई बात नहीं हैं। वह लोक सभा में विधेयक के पुर:स्थापना से पूर्व इस सभा में उद्घोषणा का अनुमोदन चाहने वाले संकल्प के पारित होने की केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं और अत: इसमें विशेषाधिकार का कोई सवाल नहीं है।'[171]

एक बार, यह औचित्य प्रश्न उठाया गया था कि क्या किसी राज्य के लिए अनुदान संबंधी अनुपूरक मांगों को तत्संबंधी उद्घोषणा को संसद् का अनुमोदन मिलने से पूर्व सभा पटल पर रखा जा सकता है। उपसभाध्यक्ष का यह कहना था कि जैसे ही उद्घोषणा जारी होती है, राज्य सरकार के सभी कार्यों के लिए तब तक शक्ति प्राप्त कर ली जाती है, जब तक कि दो महीने की अवधि के भीतर उस उद्घोषणा को संसद् द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता। तत्पश्चात् अनुदान संबंधी अनुपूरक मांगें सभा पटल पर रखी गईं।[172]

उद्घोषणा की अधिकतम अवधि

संसद् के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु, यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो, वह उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती छह मास की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी किंतु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी।[173] यदि लोक सभा का विघटन छह मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प उक्त अवधि में राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है तो, वह उद्घोषणा, उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहती है यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।[174]

परंतु उद्घोषणा किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद् के किसी भी सदन द्वारा तभी पारित किया जा सकता है जब ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात् स्थिति की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधान सभा के आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण, आवश्यक है।[175]

शक्तियों का प्रत्यायोजन

संसद् के दोनों सदनों द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन किए जाने के पश्चात् सामान्यत: संसद् द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसमें संबंधित राज्य के विषय में कानून बनाने की शक्ति सहित कतिपय शक्तियां राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित की जाती हैं। इस अधिनियम में यह उपबंध भी किया जाता है कि राज्य के लिए कोई कानून बनाने से पहले, राष्ट्रपति को जब कभी भी वह ऐसा करना व्यवहार्य समझे इस प्रयोजनार्थ गठित की गई संसदीय समिति से परामर्श करना चाहिए। इस समिति में उस राज्य से आने वाले संसद् के दोनों सदनों के सदस्य शामिल किये जा सकते हैं। ऐसे कानूनों को जो राष्ट्रपति के अधिनियम कहलाते हैं, संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना अपेक्षित होता है और संसद् को यह शक्ति दी गई है कि वह उन्हें इस प्रकार से पटल पर रखे जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर संशोधित करे।

> कई सदस्यों ने पश्चिमी बंगाल (हिंसक गतिविधियों का निवारण) अधिनियम, 1970 का निरनुमोदन चाहने वाले एक प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसकी एक प्रति पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के अंतर्गत 23 नवंबर, 1970 को सभा पटल पर रखी गई थी। इस प्रस्ताव को अधिनियम के निरसन के लिए एक संकल्प के रूप में गृहीत किया गया था।[176] इस पर चर्चा हुई और 17 दिसम्बर, 1970 को यह अस्वीकृत हुआ।
>
> लोक सभा ने 12 अप्रैल, 1966 को केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1960 का संशोधन करने वाले संकल्प को स्वीकृत किया और राज्य सभा ने 12 मई, 1966 को इस संकल्प पर सहमति दी।[177]

उद्घोषणा में यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियों का स्वयं संसद् द्वारा अथवा इसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग किया जाएगा। इस घोषणा के कारण, संसद् को संबंधित राज्य की संचित

निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयकों को पारित करने का अधिकार मिल जाता है और जिन पत्रों को राज्य विधान-मंडल के पटल पर रखा जाना अपेक्षित होता है, उन्हें इसके बजाय संसद् के पटल पर रखा जाता है।

अध्यादेश द्वारा संचित निधि में से धन का विनियोग

राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के अधीन उनके द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र में लिए गए किसी राज्य के प्रशासन के लिए धन के विनियोग हेतु उस राज्य के बजट को, विद्यमान प्रथा के अनुसार, अध्यादेश द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता क्योंकि इस संबंध में प्रमुख सिद्धांत यह है कि संसद् की स्वीकृति के बिना कोई धन संचित निधि में से व्यय के लिए नहीं निकाला जा सकता। अत:, यदि सम्बद्ध राज्य के संबंध में विनियोग विधेयक पारित करने के लिए कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर तथा राज्य सभा के सत्र में न होने पर इस सभा की बैठक इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलायी जा सकती है।

> उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, उस राज्य का बजट और राज्य के संबंधित विधेयकों के प्रयोजनार्थ 27 मार्च, 1961 को राज्य सभा का 33वां सत्र अल्प सूचना देकर बुलाया गया था। अल्प सूचना पर सत्र बुलाने के मामले को उसी दिन सभा में उठाया गया। विधि मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसकी एक वजह यह थी कि अभी राज्य के बजट को तैयार और मुद्रित किया जाना था कि इस बीच राज्य सभा स्थगित हो गई। इस बारे में पहले भी एक उदाहरण विद्यमान था जब राष्ट्रपति ने ऐसे समय में अध्यादेश जारी करके राज्य का बजट पारित किया था जब त्रावणकोर-कोचीन में 1956 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय इस विचार को ध्यान में रखा गया था कि चूंकि राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा है, अत: बजट को अध्यादेश द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। बाद में सरकार ने इस विचार पर जोर दिया कि संसद् की स्वीकृति लिए बिना संचित निधि में से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए, राज्य सभा का सत्र अल्प सूचना देकर बुलाया गया।[178]

(च) वित्तीय आपात्काल की उद्घोषणा के अनुमोदन के लिए संकल्प (अनुच्छेद 360)

यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे भारत या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपात्काल की घोषणा कर सकेगा।[179] इस प्रकार की गई उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी। यह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। संसद् द्वारा अनुमोदित उद्घोषणा तब तक प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस नहीं ले लेता।[180] तथापि, प्रवृत्त वित्तीय आपात्काल की उद्घोषणा को वापस लेने अथवा परिवर्तित करने वाली राष्ट्रपति द्वारा बाद में जारी की गई उद्घोषणा को संविधान के अंतर्गत संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना जरूरी नहीं है।

अनुच्छेद 352 और 356 के अधीन जारी की गई उद्घोषणाओं की भांति अनुच्छेद 360 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा को भी लोक सभा का विघटन होने की स्थिति में राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और इस प्रकार उद्घोषणा का समय बढ़ाया जा सकता है।[181]

संसद् के अधिनियमों के अधीन संकल्प

कुछ कानूनों में यह उपबंध है कि उनके अधीन बनाए गए नियम या अधिसूचनाएं एक विनिर्दिष्ट अवधि

के भीतर संसद् के संकल्पों द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे और ये कानून ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे अथवा निष्प्रभावी हो जाएंगे, जैसाकि संसद् अपने संकल्पों की मार्फत निदेश दे।

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत, वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगाने से संबंधित केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को संसद् के दोनों सदनों का अनुमोदन मिलना जरूरी है।[182] तद्नुसार राज्य सभा द्वारा ऐसे संकल्प पारित कर दिए गए हैं, जो अधिसूचनाओं को अनुमोदित करते हैं।[183]

मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 में 1977 में किए गए संशोधन के बाद, इसके अधीन बनाए गए प्रारूप नियमों को उनके प्रवर्तन से पहले संसद् द्वारा अनुमोदित करना जरूरी है।[184]

इस उपबंध के अंतर्गत, मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियमों को प्रारूप का अनुमोदन करने के लिए आवश्यक संकल्प सभा के समक्ष लाए गए हैं।[185]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत, कतिपय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले मूलभूत उत्पाद-शुल्क में वृद्धि करने के लिए सरकारी संकल्प को अनुमोदित कराना जरूरी है।[186]

जब कोई राज्य राष्ट्रपति-शासन के अधीन होता है, तब कतिपय प्रयोजनों के लिए परिनियत संकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948[187] के अंतर्गत, संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा लिए जा सकने वाले ऋण की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए अनुमोदन प्राप्ति हेतु सरकारी संकल्प उपस्थित किए गए और वे स्वीकृत भी किए गए।[188]

संकल्पों का प्रभाव अथवा बल

संविधान अथवा संसद् के किसी परिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में सभा पटल पर रखे गए संकल्पों के संबंध में, उनके सही-सही पद-विन्यास और उनमें प्रयुक्त शब्दों को देखकर ही सरकार यह निर्णय कर पाती है कि उस संकल्प को क्रियान्वित किया जाए अथवा नहीं। किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के संबंध में, जैसाकि उपर्युक्त गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को देखने से पता चलता है, कुछ संकल्प क्रियान्वित किए गए हैं और हो सकता है, कई संकल्प क्रियान्वित न किए गए हों। इस संदर्भ में तथा 10 अगस्त, 1978 को राज्य सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के संदर्भ में भी, जो कतिपय मंत्रियों के पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के संबंध में था, इस तरह के संकल्प के प्रभाव के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था। इस दृष्टि से, संकल्पों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है, अर्थात् सांविधिक प्रभाव वाले संकल्प; वे संकल्प जिन्हें सदन अपनी कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखने के मामले में पारित करता है; और वे संकल्प जिनमें सदन की मात्र राय अभिव्यक्त की जाती है।

पहले वर्ग में वे संकल्प आते हैं जो संविधान के अथवा संसद् के किसी परिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं और जिनका बाध्यकारी प्रभाव होता है क्योंकि ऐसे संकल्पों को कानूनी परिणाम वाले कतिपय परिनियत उपबंधों के अंतर्गत पारित किया जाता है। संकल्पों का अगला वर्ग उन संकल्पों का है जिन्हें सदन अपनी कार्यवाहियों की बाबत पारित करता है। ऐसे संकल्प कुछ-कुछ कानून के समान होते हैं और इस रूप में इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, विशेषाधिकार भंग करने के लिए सदन की अवमानना करने वाले व्यक्ति को दण्डित किये जाने वाला संकल्प। इस वर्ग में, 15 नवंबर, 1976 को राज्य सभा द्वारा स्वीकृत वह संकल्प भी आता है जिसमें सदन से किसी सदस्य को निष्कासित किये जाने की सिफ़ारिश की गई है।

लेकिन बहुत-से संकल्प सदन की राय की अभिव्यक्ति के वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे संकल्पों के

प्रयोजन और प्रभाव के बारे में यह उल्लेखनीय है कि ''ये संकल्प सामान्यत: उन प्रस्तावों के प्रति, जो अभी तक अनिश्चित हैं अथवा जो जनमत के बीच विचारणीय हैं, सदन की भावना को परखने के लिए लाए जाते हैं।''[189] इस बारे में एक संविधान विशेषज्ञ का कहना है: गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव... सभा की राय जानने के लिए लाए जाते हैं। 'राय' का आदर्श होना ज़रूरी नहीं है, ''इस प्रकार उस राय का कुछ मूल्य होता है हालांकि वह मूल्य कोई महान मूल्य नहीं होता।''[190]

संविधान के अंतर्गत, राज्य सभा को परिनिंदा-प्रस्ताव अथवा सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। 17 अगस्त, 1978 को जब 10 अगस्त, 1978 को राज्य सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के संदर्भ में, कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव को क्रियान्वित किये जाने पर ज़ोर दिया तो, सभापति महोदय ने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार को भेजी गई एक सिफ़ारिश है और समिति की नियुक्ति का प्रश्न इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार को प्रस्ताव में उल्लिखित दो विकल्पों में से कौन-सा विकल्प स्वीकार्य है।

इन परिस्थितियों में, सरकार के विरुद्ध पारित किसी संकल्प का ऐसा बल प्रभाव हो सकता है जो स्वयं सरकार इस प्रकार के संकल्प में सभा द्वारा व्यक्त की गई राय के प्रत्युत्तर में नैतिक रूप से अथवा राजनीतिक रूप से स्वीकार करना चाहे।

टिप्पणियां और संदर्भ

1. कैंपियन, एन इंट्रोडक्शन टू दि प्रोसिज़र ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स, पृष्ठ 172, तीसरा संस्करण (1958), मैकमिलन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, लंदन
2. में, पृ॰ 359
3. नियम 156
4. नियम 24
5. नियम 2(1)
6. नियम 154
7. उदाहरण के लिए संकल्पों की स्वीकृत सूचियों के लिए **देखिए** संसदीय समाचार (2), 20.10.1965, 3.11.1965 और 17.11.1965 और 54वें सत्र के दौरान संकल्पों की लॉटरी के परिणाम के लिए **देखिए** संसदीय समाचार (2), 21.10.1965, 4.11.1965 और 18.11.1965; 55वें सत्र के दौरान प्रथम आवंटित दिवस अर्थात् 25.2.1966 के लिए संकल्पों की लॉटरी के परिणाम के लिए संसदीय समाचार (2), 19.2.1966 को भी देखें।
8. दूसरा प्रतिवेदन, नियम समिति (24.12.1981 को स्वीकृत तथा 15.1.1982 से प्रभावी)
9. नियम 26
10. नियम 154
11. संसदीय समाचार (2), 18.4.1972
12. नियम 155
13. कार्यावलि, 5.8.1994, 28.4.1995 और 25.8.1995
14. -वही- 30.3.1990, 25.5.1990, 6.3.1992 और 19.3.1993
15. -वही- 22.4.1994, 19.8.1994, 16.12.1994, 28.4.1995 और 26.5.1995

16. कार्यावलि, 16.12.1994
17. –वही– 24.8.1990
18. नियम 157(i)
19. नियम 157(ii)
20. नियम 157(iii)
21. नियम 157(iv)
22. नियम 157(v)
23. राज्य सभा वाद–विवाद, 13.3.1980, कालम 124–29
24. संसदीय समाचार (1), 6.5.1983
25. –वही– 29.12.1989
26. नियम 165 (i)
27. नियम 165 (ii)
28. नियम 228
29. नियम 158
30. नियम 28(2)
31. नियम 28(1)
32. राज्य सभा वाद–विवाद, 30.4.1954, कालम 4776 और राज्य सभा वाद–विवाद 10.12.1954, कालम 1486
33. राज्य सभा वाद–विवाद, 6.5.1994, कालम 443; 5.8.1994, कालम 407; 19.8.1994, कालम 363; 24.3.1995, कालम 543; और 10.12.1999, कालम 249; 20.4.2000, कालम 197–245, 5.5.2000, कालम 235–53
34. –वही– 3.12.1965, कालम 3722
35. नियम 29(4)
36. कार्यावलि, 24.2.1994, 25.8.1995, 7.5.1993 (3 संकल्प) और 8.5.1992 (4 संकल्प)
37. नियम 27, परंतुक
38. नियम 163(3)
39. नियम 24
40. कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवृत्त, 24.2.1982, 8.3.1982, 9.7.1982, 7.10.1982, 23.2.1983, 23.7.1985 और 21.2.1986
41. राज्य सभा वाद–विवाद, 21.3.1969, कालम 5345–49
42. नियम 161
43. संसदीय समाचार (2), 2.5.1997
44. नियम 159(1)
45. नियम 159(2)

46. नियम 159(3); उदाहरण के लिए **देखिए** राज्य सभा वाद-विवाद, 11.9.1953, कालम 1956; राज्य सभा वाद-विवाद, 4.3.1955, कालम 1214; 4.5.1956, कालम 1259; 14.2.1958, कालम 495; 19.2.1965, कालम 312; और 16.2.1968, कालम 777
47. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.2.1954, कालम 1139 और 1247
48. नियम 160(1)
49. नियम 160(2)
50. नियम 160(3)
51. राज्य सभा वाद-विवाद, 26.2.1953, कालम 1299–1302
52. -वही- 24.3.1995, कालम 539
53. नियम 162
54. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.12.1965, कालम 3652
55. -वही- 26.5.1972, कालम 98
56. नियम 164
57. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.8.1954, कालम 36-37
58. -वही- 27.8.1954, कालम 668
59. नियम 166
60. नियम 163(1)
61. संसदीय समाचार (1), 14.8.1969
62. नियम 163(2)
63. नियम 229(2)
64. राज्य सभा वाद-विवाद, 22.11.1963, कालम 885
65. कार्यावलि, 7.4.1972; संशोधित कार्यावलि, 7.4.1972
66. फाइल संख्या आर॰ एस॰ 6(1)/2002-एल
67. संसदीय समाचार (1), 10.12.1954
68. -वही- 4.3.1955
69. -वही- 16.9.1955
70. -वही- 4.5.1956
71. -वही- 7.12.1956
72. -वही- 24.5.1957
73. -वही- 7.5.1965
74. -वही- 19.12.1969
75. -वही- 13.3.1970

76. संसदीय समाचार (1), 11.12.1981

77. –वही– 24.8.1990

78. –वही– 24.3.1995

79. नियम 33(क)

80. संसदीय समाचार (1), 19.12.1967

81. –वही– 18.3.1987, 29.3.1989

82. अनुच्छेद 253, सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I), प्रविष्टियां 13 और 14

83. –वही– प्रविष्टि 14

84. जगन्नाथ साहू **बनाम** भारत का संघ, ए॰ आई॰ आर॰ 1960, एस॰ सी॰ 625

85. मगनभाई **बनाम** भारत का संघ, ए॰ आई॰ आर॰ 1969, एस॰ सी॰ 783; निर्मल **बनाम** भारत का संघ, ए॰ आई॰ आर॰ 1959, कालम 506

86. बसु, डी॰ डी॰, शॉर्टर कांस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (12वां संस्करण, 1996), पृष्ठ 1207

87. संदर्भ **बेरूबाड़ी यूनियन**, ए॰ आई॰ आर॰ 1960, एस॰ सी॰ 845

88. संसदीय समाचार (1), 7.8.1952

89. –वही– 6.9.1957

90. –वही– 13.9.1957

91. –वही– 22.2.1966

92. –वही– 14.8.1971

93. –वही– 18.12.1952, 7.9.1956

94. –वही– 22.12.1967

95. –वही– 4.8.1983

96. –वही– 13.5.1986 और 22.8.1986

97. –वही– 9.8.1994

98. –वही– 3.8.1995

99. –वही– 1.4.1976, 13.5.1988

100. –वही– 13.11.1962

101. –वही– 20.8.1985

101क. –वही– 2.3.2001

101ख. –वही– 18.3.2001

102. सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, धारा 7(3)

103. राजभाषा अधिनियम, 1963, धारा 4(1)

104. संसदीय समाचार (1), 24.7.1975

105. अनुच्छेद 61

106. अनुच्छेद 67

107. अनुच्छेद 90

108. अनुच्छेद 123

109. अनुच्छेद 249

110. अनुच्छेद 312

111. अनुच्छेद 352

112. अनुच्छेद 356

113. अनुच्छेद 360

114. संसदीय समाचार (1), 23.6.1971 और 24.6.1971; कार्य संचालन संबंधी चर्चा के लिए **देखिए** राज्य सभा वाद-विवाद, 23.6.1971, कालम 45–97

115. -वही- (1), 5.8.1991

116. -वही- 8.12.1977

117. -वही- 21.3.2002

118. अनुच्छेद 249(1)

119. अनुच्छेद 249(2)

120. अनुच्छेद 249(3)

121. राज्य सभा वाद-विवाद, 18.7.1952, कालम 1481–92 और 22.7.1952, कालम 1628–86

122. अस्थायी संसदीय समाचार (1), 5.6.1951

123. संसदीय समाचार (1), 13.8.1986

124. केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग, पैरा संख्या 2.25.09-10,

125. अनुच्छेद 312

126. राज्य सभा वाद-विवाद, 6.12.1961, कालम 1301–5

127. संसदीय समाचार (1), 30.3.1965

128. संसदीय समाचार (2), 8.9.1961, और 30.10.1961

129. अनुच्छेद 352 (1)

130. अनुच्छेद 352(4)

131. -वही- परंतुक

132. अनुच्छेद 352(5)

133. -वही- पहला परंतुक

134. अनुच्छेद 352(5), दूसरा परंतुक

135. अनुच्छेद 352(6)

136. अनुच्छेद 356(1)

137. अनुच्छेद 356(2)

138. अनुच्छेद 356(3)

139. राज्य सभा वाद-विवाद, 23.3.1971, कालम 20–27

140. -वही- 10.8.1959, कालम 83–97

141. -वही- 12.11.1973, कालम 127–30

142. राज्य सभा वाद-विवाद, 9.11.1987, कालम 223–28

143. -वही- 18.8.1959, कालम 972; 24.3.1965, कालम 4429 और 20.3.1967, कालम 126

144. अनुच्छेद 356 (3)

145. -वही- परंतुक

146. निन्यानवेवां सत्र (28.2.1977 और 1.3.1977) और 158वां सत्र (3.6.1991 और 4.6.1991)

147. पूर्व के वर्षों में संकल्पों में अपेक्षाकृत अधिक शब्दाभिव्यक्ति हुआ करती थी; **देखिए** राज्य सभा विाद-विवाद, 25.3.1953, कालम 2156; और राज्य सभा वाद-विवाद 29.11.1954, कालम 193

148. संकल्प के पूर्व स्वरूप के लिए, **देखिए** राज्य सभा वाद-विवाद, 15.9.1953, कालम 2437; और राज्य सभा वाद-विवाद, 7.9.1956, कालम 3697

149. राज्य सभा वाद-विवाद, 12.3.1968, कालम 4306-07

150. -वही- 25.3.1953, कालम 2156

151. -वही- 29.11.1954, कालम 201

152. -वही- 12.10.1989, कालम 102

153. -वही- 5.10.1990, कालम 88

154. -वही- 23.8.1990, कालम 315

155. -वही- कालम 314

156. -वही- 26.8.1991, कालम 180

157. -वही- 25.2.1992, कालम 264

158. -वही- 13.3.1980, कालम 124–29

159. -वही- 4.11.1986, कालम 213–15

160. उदाहरण के लिए **देखिए** संसदीय समाचार (2), 1.3.1968, 4.5.1968, 22.7.1969, 5.3.1973,6.3.1980

161. संसदीय समाचार (2), 12.7.1971

162. -वही- 22.7.1969

163. कार्यावलि, 21.8.1969

164. राज्य सभा वाद-विवाद, 3.4.1967, कालम 1937–2020; 4.4.1967, कालम 2107–20

165. संसदीय समाचार (1), 21.7.1971

166. -वही- 25.4.1989, 26.4.1989

167. कार्यावलि, 26.2.1991

168. संसदीय समाचार (1), 27.3.1980

169. राज्य सभा वाद-विवाद, 21.12.1992, कालम 438

170. संसदीय समाचार (1), 22.11.1967, 27.11.1967

171. राज्य सभा वाद-विवाद, 30.11.1954, कालम 348–52

172. राज्य सभा वाद-विवाद, 15.12.1981, कालम 229–35

173. अनुच्छेद 356(4)

174. -वही- परंतुक

175. अनुच्छेद 356(5)

176. संसदीय समाचार (2), 28.11.1970

177. लोक सभा वाद-विवाद, 12.4.1966, कालम 10626–655; राज्य सभा वाद-विवाद, 12.5.1966, कालम 1261–73

178. राज्य सभा वाद-विवाद, 27.3.1961, कालम 9

179. अनुच्छेद 360(1)

180. अनुच्छेद 360(2)

181. -वही- परंतुक

182. सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, धारा 7 और 8

183. संसदीय समाचार (1), 28.11.1978

184. मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952, धारा 11(2)

185. संसदीय समाचार (1), 7.5.1986, 20.3.1987, 6.9.1990 और 17.8.1995

186. -वही- 3.9.1990

187. -वही- 11.3.1991 और 26.8.1993

188. विद्युत् (प्रदाय) अधिनियम, 1948, धारा 65(3)

189. कैंपियन, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 109

190. आइवर जैनिंग्स, पार्लियामेंट, दूसरा संस्करण, 1957, पृष्ठ 363–64